न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 200/2020 जिला दौसा

1. गिर्राज पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

—अपीलान्ट

बनाम

1. रेवडमल दत्तक पुत्र मिश्रया जाति मीणा निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

—रेस्पोंडेन्ट

2. कजोड पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण
3. रामप्यारी पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण
4. मन्नी पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण
5. मूली देवी पत्नी स्व0 श्री हरिनारायण
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

—प्रोफर्मा रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा दिनांक 25.09.2019 प्रकरण संख्या 135/2019 उनवानी रेवडमल बनाम गिर्राज व अन्य।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपस्थित—

1. श्री पी.के.मीणा वकील अपीलान्ट
2. श्री श्यामबाबू पारीक रेस्पोडेण्ट नं. 1
3. श्री अशोक उपाध्याय वकील रेस्पोडेण्ट नं 2 से 4 की ओर से
4. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल

अपील संख्या 201/2020 जिला दौसा

1. गिर्राज पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

—अपीलान्ट

बनाम

1. रेवडमल दत्तक पुत्र मिश्रया जाति मीणा निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

—रेस्पोंडेन्ट

2. कजोड पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण
3. रामप्यारी पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण
4. मन्नी पुत्री स्व0 श्री हरिनारायण
5. मूली देवी पत्नी स्व0 श्री हरिनारायण
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

—प्रोफर्मा रेस्पोंडेन्ट्स

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा बाबत् नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 27.09.2019

उपस्थित–

1. श्री पी.के.मीणा वकील अपीलान्ट
2. श्री श्यामबाबू पारीक रेस्पोडेण्ट नं. 1
3. श्री अशोक उपाध्याय वकील रेस्पोडेण्ट नं 2 से 4 की ओर से
4. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर वेनीवाल

निर्णय

दिनांक –28.09.2022

1. यह दोनो अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार दौसा, के निर्णय दिनांक 25.09.2019 एवं निर्णय दिनांक 27.09.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट गिर्राज व रेस्पोडेण्ट रेवडमल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा के समक्ष वाके ग्राम महाराजपुरा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं 29, 30 कुल किता 2 रकबा 38.14 बीघा के खातेदार हरिनारायण पुत्र भोर्या की मृत्यु दिनांक 22.04.2016 को होने पर विरासत का नामान्तरकरण बाबत् दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिसमें अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि हरिनारायण के पुत्र रेवडमल के मिश्र्या मीना के गोद चले जाने के कारण हरिनारायण की विरासत का नामान्तरकरण रेवडमल को छोडकर प्रार्थी गिर्राज व हरिनारायण की पुत्रियों व पत्नि के नाम दर्ज करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोदनामा को अपंजीबद्ध मानते हुये दिनांक 25.09.2019 को हरिनारायण की विरासत का नामान्तरकरण सभी प्राकृतिक वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 342 दिनांक 27.09.2019 स्वीकृत किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

3. तहसीलदार लालसोट जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 25.09.2019 व दिनांक 27.09.2019 से व्यथित होकर उसके खिलाफ अपीलान्ट गिर्राज पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण द्वारा यह पृथक पृथक दोनों अपीलें मियाद अधिनियम की धारा–5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 25.09.2019 व दिनांक 27.09.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेवडमल पुत्र स्व0 हरिनारायण अपीलांट का भाई है एवं बाल्यकाल में ही अपने बाबा मिश्र्या के गोद चला गया था एवं गोद की शर्तें, रस्में पूरी की गई एवं उनके देहान्त पश्चात् रेवडमल ने गोदनामा के आधार पर सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति नामान्तरकरण संख्या 230 के जरिये स्वयं के नाम बतौर दत्तक पुत्र अंकित करवा ली एवं उस पर काबिज है। उक्त नामान्तरकरण में ग्राम पंचायत ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि रेवड दत्तक पुत्र मिश्र्या के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया है। मतदाता सूची में अंकित पिता के नाम व अन्य भाई–बहिनों व स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्रों से भी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि रेवड मिश्र्या के गोद चला गया था चूंकि अपीलांट व रेस्पोडेण्ट्स मीना समुदाय से हैं जिस पर हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते और

Scanned by CamScanner

मीणा कस्टम के अनुसार दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है इसमें कोई पंजीकृत गोदनामें की आवश्यकता नहीं है एवं इसी गोदनामा से रेवड मिश्र्या की सम्पत्ति भोग रहा है। रेवडमल के पिता का नाम समस्त अभिलेखों में भी मिश्र्या ही चला आ रहा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों पर गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त गोदनामा एक पंजीकृत गोदनामा नहीं है और ना ही गौद की शर्तें, रस्में पूरी की गई इसलिए रेवडमल को मिश्र्या का दत्तक पुत्र नहीं माना जा सकता। प्रार्थी स्व0 हरिनारायण का ज्येष्ठ पुत्र है तथा मीणा समुदाय में प्रथानुसार ज्येष्ठ पुत्र को कभी भी दत्तक नहीं दिया जा सकता चूंकि प्रार्थी रेवड ने ताउम्र मिश्रया की सेवा चाकरी व आश्यकताओं की पूर्ति की थी इसलिए मिश्रया ने अपने जीवनकाल में ही परिवार व रिश्तेदारों की सहमति से समस्त सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाया था एवं ग्राम पंचायत द्वारा मिश्रया के विरासत का नामान्तरकरण करते समय सहबन से रेवडमल को मिश्र्या के दत्तक पुत्र के रूप में अंकित कर दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार विधिक प्रावधानों के तहत् अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाके ग्राम महाराजपुरा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं 29, 30 कुल किता 2 रकबा 38.14 बीघा हरिनारायण पुत्र भोर्या की कब्जे काश्त भूमि है। हरिनारायण की मृत्यु उपरान्त उसका पुत्र रेवडमल जरिये गोदनामा के आधार पर मिश्र्या मीना के गोद चला गया। अतः हम समझते है कि चूंकि रेस्पोडेण्ट रेवडमल स्व0 श्री मिश्र्या की मृत्यु उपरान्त उक्त गोदनामा के तहत् ही मिश्र्या की सम्पति को भोग रहा है एवं इसी गोदनामा के आधार पर ही नामान्तरकरण संख्या 230 स्वयं के नाम बतौर दत्तक पुत्र अंकित करवा ली एवं उस पर काबिज है। इसलिए रामस्वरूप के प्राकृतिक पिता स्व0 श्री हरिनारायण की विरासत में उनके हक–हकूक एवं अधिकार उसी दिन से समाप्त हो जाते हैं जिस दिन वह गोदपुत्र के आधार पर अन्य सम्पत्ति अर्जित कर लेता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.09.2019 के अनुसार हरिनारायण की विरासत में सभी प्राकृतिक वारिसान के नाम दर्ज करना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार लालसोट दिनांक 25.09.2019 व दिनांक 27.09.2019 निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner